UPEW010020172026

**न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah**

**पीठासीन अधिकारी-** (Sri Ankur Sharma), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)**

**(J.O. Code- UP01632)**

Bail Application 627/2026

आसिफ खान उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र अनीस खाँ निवासी मुहल्ला-बराही टोला थाना कोतवाली जनपद-इटावा।

....... आवेदक/अभियुक्त

-प्रति-

उत्तर प्रदेश राज्य।

.............विपक्षी।

अपराध संख्या-191/2025
धारा 318(4),338,336(3),340(2), 3(5)भारतीय न्याय संहिता
थाना-कोतवाली, जिला-इटावा।

**<u>दिनांकः 10.04.2026</u>**

**1.** आवेदक/अभियुक्त आसिफ खान की ओर से मु०अ०सं०-191/2025 धारा 318(4),338,336(3),340(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता थाना-कोतवाली, जिला-इटावा में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

**2.** संक्षेप में वादी मुकदमा राकेश कुमार सहायक आयुक्त राज्य कर खण्ड-1 इटावा द्वारा थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को दी गयी तहरीर इस प्रकार है कि पत्रांक 193/एफ आई आर बोगस फर्म/उपाराकस खण्ड-1, इटावा / दिनांक 11/08/25 महोदय अवगत कराना है कि माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत इस खण्ड के क्षेत्राधिकार में पजीकृत फर्म सर्वश्री खाटू श्याम ट्रेडर्स जीएसटीएन 09DBHPB7202N1ZJ की जीएसटी पोर्टल पर जांच करने पर पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा दिनांक 03.05.2024 को जीएसटी के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त किया गया है तथा फर्म का पंजीयन पंजीयन दिनांक से निरस्त किया जा चुका है। पंजीयन प्रपत्रों के आधार पर पजीकृत व्यक्ति का नाम श्री शैलेन्द्र बाबू पुत्र श्री राम बाबू निवासी अकालगंज, इटावा पिन-206001 है, जो इस व्यक्ति के आधार कार्ड पर अंकित है। इसके व्यापार स्थल का पता जीएसटी पोर्टल पर श्री सुनील यादव पुत्र श्री रमेश यादव,

Digitally signed by ANKUR SHARMA
Date: 2026.04.10 17:13:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पिलखर हनुमान मन्दिर के आगे इटावा पिन-206001 दर्ज है। इस व्यापार स्थल पर एक महिला कर्मचारी मिली थी, जिसने इनका मोबाइल नम्बर 89238XXXXX दिया। इस मोबाइल नम्बर पर बात करने पर श्री शैलेन्द्र बाबू स्वामी फर्म द्वारा बताया गया कि सर्वश्री खाटू श्याम ट्रेडर्स फर्म का समस्त कार्य श्री नितिन गुप्ता पुत्र श्री हरिओम गुप्ता निवासी 41/1, दावग्राम, इटावा द्वारा किया एवं देखा जाता है तथा उन्हें और कोई जानकारी नहीं है। शैलेन्द्र बाबू ने श्री नितिन गुप्ता का मोबाइल नम्बर 70176XXXXX दिया, जिस पर बात करने पर श्री गुप्ता द्वारा बताया गया कि वे इटावा जनपद से बाहर हैं एक दो दिन में कार्यालप आकर बात करेंगे। सर्वश्री खाटू श्याम ट्रेडर्स (प्रान्तीय क्षेत्राधिकार) फर्म द्वारा वर्ष 2024-25 में दिल्ली स्थित फर्म एबी ट्रेडर्स जीएसटीएन 07FYUPB84338H1Z3 से रु 81557873.95 को इनवार्ड आपूर्ति प्राप्त करते हुए रु0 21721796.00 की आईटीसी अर्जित की गयी है, जबकि फर्म एबी ट्रेडर्स का संगत वर्ष में GSTR-2A (इनवार्ड सप्लाई) निल पाया गया तथा फर्म दिनांक 27.09.2024 को सस्पेन्ड भी कर दी गयी है। सर्वश्री खाटू श्याम ट्रेडर्स पर धारा 74A (9) में डीआरसी-01ए सन्दर्भ संख्या ZD0908250162849 दिनांक 02.08.2025 द्वारा जारी कर दिया गया है। पोर्टल पर उक्त बोगस फार्म की खरीद-बिक्री के ऑकडे असत्यापित है। इस प्रकार सर्वश्री खाटू श्याम ट्रेडर्स जीएसटीएन 09DBHPB7202N1ZJ द्वारा बोगस फर्म से बिना माल की वास्तविक खरीद के रु0 21721796.04 की बोगस आईटीसी अर्पित करते हुए उसकी वास्तविक बिक्री किये बिना फेक टैक्स इनवायस जारी करते हुए आईटीसी पासऑन की गयी है, जिसने के उप्र नाल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा-132 के अन्तर्गत अपराधिक कृत्य करते हुए कुल रु0 21721796.04 की राजस्व क्षति की गयी है, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 3(5) एवं 61 (2) के अन्तर्गत भी दण्डनीय है। उपरोक्त के सन्दर्भ में श्री शैलेन्द्र बाबू पुत्र श्री राम बाबू निवासी अकालगंज, इटावा एवं दुरभिसन्धि करते हुए कराण्डवन में शामिल / स्थित होने के कारण श्री नितिन गुप्ता पुत्र श्री हरिओम गुप्ता निवासी 41/1. दावग्राम, इटावा के विरुद्ध करापवंचन के उद्देश्य से पंजीयन प्राप्त किये जाने तथा रु0 21721796.04 का करापवंचन किये जाने हेतु भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

**3.** अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मुकदमा में थाना पुलिस ने प्रार्थी को झूठा अभियुक्त बनाया है वह निर्दोष है उसके द्वारा उक्त वर्णित कोई घटना कारित नहीं की गयी है। मनगढन्त तथ्य रखते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट

दर्ज कराई गयी है। प्रार्थी उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है थाना पुलिस ने प्रकाश में लाकर उक्त वाद में प्रार्थी को संलिप्त किया है। उक्त वाद में वर्णित घटना से प्रार्थी का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी के नाम पर कुछ भी नहीं है और न ही प्रार्थी सहअभियुक्त को जानता है प्रार्थी को सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर उपरोक्त मामले मे संलिप्त किया गया है जब कि सहअभियुक्तो की गिरफ्तारी 2 माह पूर्व हुई थी 2 महीने पश्चात प्रार्थी को संलिप्त किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई भी साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पास उपलब्ध नहीं है सिर्फ द्वेष भावना से प्रार्थी का नाम संलिप्त किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि यदि कोई विशेष कानून है तो सामान्यतः विशेष कानून सामान्य कानून पर अधिभावी होता है यदि अपराध पूरी तरह से विशेष कानून के अन्तर्गत आता है। आरोपित अपराध के विवेचक ने जो साक्ष्य संकलित है वह वस्तु एंव सेवाकर से सम्बन्धित है कर चोरी जारी बिल या इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत फायदा उठाने पर केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 132 के अधीन मुकदमा चलाये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी का नाम विवेचना में बढ़ाने का विवेचक के पास कोई भी ठोस व पर्याप्त आधार नही है क्यो कि सभी सहअभियुक्तो की गिरफ्तारी 2 माह पूर्व हो चुकी है सभी साक्षी अभियुक्तों के बयान भी हो चुके है फिर अब किस आधार पर प्रार्थी के नाम की बढोत्तरी की गयी है। प्रार्थी अपनी उचित जमानत देने को तैयार है व जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी गवाहों को डरायेगा व धमकायेगा नही और प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित आयेगा व विवेचना व विचरण में सहयोग करेगा। प्रार्थी दिनांक 04.02.2026 से जिला कारागार इटावा मे निरूद्ध है। प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही सजायाफ्ता व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय का निरस्तीकण दिनांक 30.03.2026 संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी कभी भी प्रतिभू का दुरूपयोग नहीं करेगा और नियत तारीख पर माननीय न्यायालस मे उपस्थित रहेगा। उपरोक्त आधारो पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

**4.** विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी है।

**5.** आवेदकगण/ अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

**6.** अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर जनता के लोगों को धोखा

देकर उनके प्रपत्र प्राप्त करके उक्त प्रपत्रों के आधार पर धोखाधड़ी एवं कूटरचना करके फर्जी फर्म बनाकर उक्त फर्म से फर्जी इनवायस (Invoice) व दस्तावेज जारी करके आर्थिक अपराध कारित किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोडा जाना न्यायोचित नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

आवेदक/अभियुक्त आसिफ खान की ओर से मु०अ०सं०–191/2025 धारा 318(4),338,336(3),340(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता थाना–कोतवाली, जिला–इटावा के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र सं० 627/2026 निरस्त किया जाता है।

सम्बन्धित सत्र लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह ज़मानत आदेश की प्रति जिला कारागार इटावा को ज़रिए ई–मेल एवं BOMS से प्रेषित करें।

**(अंकुर शर्मा)**
विशेष न्यायाधीश (आ.व.अधि.)/अपर
सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 4,इटावा।
J.O. CODE : UP01632